



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25082021-229217
CG-DL-E-25082021-229217

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3176]
No. 3176]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 25, 2021/भाद्र 3, 1943
NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 25, 2021/BHADRA 3, 1943

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 2021

का.आ. 3466(अ).—केंद्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 4059 (ई) तारीख 28 सितम्बर 2020, जो भारत के राजपत्र संख्या 3570 तारीख 11 नवम्बर 2020, में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में ओडिशा राज्य में “पारादीप - सोमनाथपुर - हल्दीआ प्रॉडक्ट पाइपलाइन पारियोजना”, तहसील- महाकालपारा, जिला- केंद्रापड़ में उत्पाद परिवहन के लिए इंडियन आयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार के अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी:

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 23.12.2020 तक उपलब्ध करा दी गई थी;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केंद्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है;

और केंद्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, केंद्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है की इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

और केंद्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केंद्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमो से मुक्त होकर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगी

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगी और पाइपलाइन से सम्बंधित किसी भी मामले पर केंद्रीय सरकार के विरुद्ध कोई दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूची					
तहसील का नाम :- महाकालपारा		जिला :- केन्द्रापड़ा		राज्य :- ओडिशा	
क्र.सं	गाँव का नाम	प्लॉट क्रमांक	क्षेत्रफल		
			हैक्टेयर	एयर	वर्गमीटर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	पुरुषोत्तमपुर - 280	134	00	29	52
		154	00	14	50
		153	00	09	20
		121	00	07	50
		699	00	01	00
		702	00	00	10
		120	00	01	00
		653	00	04	50
		652	00	00	70
		651	00	00	90
		118	00	03	24
		115	00	08	64
		114	00	00	10
		111	00	02	50

[फा. सं. आर-11025(11)/2/2019-ओ.आर.-I/ई-29478]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th August, 2021

S.O. 3466(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas 4059 (E) dated 28th September, 2020, issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Gazette no 3570 on 11th November 2020, Part- II, Section 3, Sub Section (ii), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying “Paradip – Somnathpur - Haldia Product Pipeline”, for the transportation of Petroleum Products in Mahakalapara Tahasil of Kendrapara District in the state of Odisha by Indian Oil Corporation Limited;

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public up to 23.12.2020;

And whereas the competent authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted report to the Central Government;

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in Indian Oil Corporation Limited, free from all encumbrances.

Indian Oil Corporation Limited shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P & MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE					
TAHASIL: MAHAKALAPARA		DISTRICT : KENDRAPARA		STATE: ODISHA	
S.NO.	Name of Village	Plot No.	Area		
			Hectare	Are	Sqm.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PURUSHOTTAMPUR-280	134	00	29	52
		154	00	14	50
		153	00	09	20
		121	00	07	50
		699	00	01	00
		702	00	00	10
		120	00	01	00
		653	00	04	50
		652	00	00	70
		651	00	00	90
		118	00	03	24
		115	00	08	64
		114	00	00	10
		111	00	02	50

[F. No. R-11025(11)/2019-OR-I/E-29478]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.